प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (सी) क्रमांक 6835 / 2008

याचिकाकर्ता: मेसर्स सिंघल एंटरप्राइजेज

विरुद्ध

उत्तरवादीगण: छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल व अन्य

आदेश हेतु विचारार्थ

हस्ताक्षर
धीरेन्द्र मिश्रा
न्यायमूर्ति

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

माननीय श्री आर. एन चंद्राकर न्यायमूर्ति

हस्ताक्षर
आर. एन चंद्राकर
न्यायमूर्ति

आदेश हेतु 23-02-2010 को सूचीबद्ध करें ।

हस्ताक्षर
धीरेन्द्र मिश्रा
न्यायमूर्ति

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (सी) क्रमांक 6835/2008

याचिकाकर्ता :

मेसर्स सिंघल एंटरप्राइजेज (ठेकेदार),जिसका प्रधान कार्यालय बायपास रोड, चास, बोकारो स्टील सिटी (झारखंड) में स्थित है, कंपनी कार्यालय मीनोचा कॉलोनी, विद्या गार्डन के सामने, बिलासपुर (छ.ग.) द्वारा उनके साझेदार बाल कृष्ण अग्रवाल, पिता स्वर्गीय श्री बिशन स्वरूप अग्रवाल, आयु लगभग 60 वर्ष, निवासी ए-15, फेज 1, राज किशोर नगर, सिपत रोड, बिलासपुर (छ.ग.)

विरुद्ध

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उत्तरवादीगण

1. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल, द्वारा सचिव, सी.एस.ई.बी., रायपुर (छ.ग.)
2. मुख्य अभियंता (सिविल-परियोजना), छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल, रायपुर (छ.ग.)
3. सदस्य (सामान्य-परियोजना) के स्टाफ अधिकारी, सी.एस.ई.बी., रायपुर (छ.ग.)

उपस्थित:

श्रीमती रेनू कोचर, याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता।

श्री आलोक बख्शी, उत्तरवादीगणों की ओर से अधिवक्ता।

(खंडपीठ): माननीय श्री न्यायमूर्ति धिरेन्द्र मिश्रा एवं

माननीय श्री न्यायमूर्ति आर.एन. चन्द्राकर।

आदेश

(दिनांक 23 फरवरी, 2010 को पारित)

न्यायालय द्वारा निम्नलिखित आदेश माननीय **न्यायमूर्ति धिरेन्द्र मिश्रा** द्वारा पारित किया गया

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1. याचिकाकर्ता ने यह याचिका दायर की है और उत्तरवादी क्रमांक 2 द्वारा पारित आदेश (अनुलग्नक पी/12) को अभिखंडित करने की प्रार्थना की है, जिसके माध्यम से याचिकाकर्ता द्वारा जमा ₹8,75,000/- की जमानत राशि जब्त कर ली गई। याचिकाकर्ता ने यह भी प्रार्थना की है कि उत्तरवादी क्रमांक 2 को निर्देश दिया जाए कि उक्त राशि याचिकाकर्ता को वार्षिक 12% ब्याज सहित लौटाई जाए।

2. मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि निविदा आमंत्रण सूचना (अनुलग्नक पी/1) के प्रत्युत्तर में याचिकाकर्ता ने 2×250 मेगावाट टी.पी.एफ. कोरबा ईस्ट हेतु 100 आवासीय इकाइयों के निर्माण कार्य के लिए ₹8.75 करोड़ मूल्य का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। याचिकाकर्ता ने ₹8.75 लाख की राशि जमानत राशि के रूप में भी जमा की। उत्तरवादी क्रमांक 2 ने दिनांक 26-2-2008 (अनुलग्नक पी/3) के पत्र द्वारा सूचित किया कि याचिकाकर्ता की निविदा उक्त कार्य के लिए

स्वीकार कर ली गई है। इस पत्राचार द्वारा याचिकाकर्ता को निर्देशित किया गया कि वह ₹10,68,250/- राशि 10 दिनों के भीतर वरिष्ठ लेखा अधिकारी के पास जमा करें। उक्त राशि और अग्रिम जमा राशि मिलकर प्रारंभिक सुरक्षा निधि बनाते थे।

3. याचिकाकर्ता को यह भी निर्देशित किया गया कि वह किसी अधिकृत प्रतिनिधि को वैध मुख्तियारआम सहित भेजे ताकि 10 दिनों के भीतर अनुबंध निष्पादित किया जा सके। यदि ऐसा नहीं किया गया तो जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी। याचिकाकर्ता से आदेश की स्वीकृति की पुष्टि करने का अनुरोध किया गया। यह भी उलेखित किया गया कि यदि उपरोक्त आदेश जारी होने की तिथि से 10 दिनों के भीतर इसके विपरीत कोई सुनवाई नही होती हैं | तो यह माना जाएगा कि याचिकाकर्ता ने आदेश स्वीकार कर लिया है।

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. याचिकाकर्ता ने दिनांक 1-3-2008 को अपने उत्तर (अनुलग्नक पी/4) में यह बताया कि कार्यादेश के साथ संलग्न मद दरें और मात्रा सूची तथा निविदा के साथ प्रस्तुत बीओक्यू में अंतर है और यह परिवर्तन याचिकाकर्ता की सहमति के बिना किया गया है। याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया कि कार्यादेश के साथ संलग्न बीओक्यू में आवश्यक संशोधन किया जाए ताकि वह बीओक्यू जो निविदा के साथ संलग्न थी, उसके अनुसार हो और समय पर अनुबंध निष्पादित किया जा सके।

5. उत्तरवादीगण ने दिनांक 4-3-2008 के पत्र के माध्यम से याचिकाकर्ता का अनुरोध अस्वीकार कर दिया। उन्होंने निविदा दस्तावेज़ के निविदाकर्ताओ को दिए गए खंड 16 का निर्देशों का हवाला देते हुए उत्तरवादीगण ने कहा कि कार्य की अलग अलग वस्तुओं की मात्रा में परिवर्तन किया जा सकता है या कुछ मदों को निष्पादित होने की आवश्यकता नहीं हो सकती है | बशर्ते कि कुल अनुबंध मूल्य ±25% से अधिक न बदले।

6. उपरोक्त पत्राचार प्राप्त होने पर याचिकाकर्ता ने उत्तरवादीगण से अनुरोध किया कि कार्य को बिना किसी पक्ष की देयता के समाप्त किया जाए और अग्रिम जमा राशि लौटा दी जाए, क्योंकि पक्षों के बीच विवाद उत्पन्न हो गया था (अनुलग्नक पी/5, दिनांक 15-3-2008) यदपि उत्तरवादीगण ने दिनांक 19-3-2008 (अनुलग्नक पी/6) के पत्र में सूचित किया कि याचिकाकर्ता द्वारा अनुबंध निष्पादन से इंकार करना निविदा की शर्तों का उल्लंघन है और बोर्ड उसके खिलाफ कार्रवाई करने की योजना बना रहा है, जिसमें अग्रिम जमा राशि की जब्ती भी शामिल है। अंततः उत्तरवादीगण ने दिनांक 8 मई 2008 (अनुलग्नक पी ए/12) के पत्र के माध्यम से सूचित किया कि याचिकाकर्ता द्वारा निविदा के साथ जमा की गई अग्रिम जमा राशि जब्त कर दी गई है और याचिकाकर्ता के दिनांक 28-5-2008 के अनुरोध (अनुलग्नक पी/13) को, जो खण्ड 27 के अनुसार विवाद समाधान समिति की स्थापना हेतु था, को छ.ग विधुत मंडल अनुलग्नक पी/14 के द्वारा से अस्वीकार कर दिया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता ने तर्क दिया कि पक्षों के बीच कोई अनुबंध संपन्न नहीं था क्योंकि कार्यादेश (अनुलग्नक पी/3) केवल एक प्रति-प्रस्ताव था जिसमें कार्य अनुसूची में कुछ बदलाव किए गए थे। याचिकाकर्ता को उक्त प्रस्ताव प्राप्त होने के 10 दिनों के भीतर स्वीकृति प्रदान करनी थी। याचिकाकर्ता ने नियत अवधि के भीतर दिनांक 1-3-2008 को प्रस्ताव के खिलाफ आपत्ति दर्ज की और संशोधन का अनुरोध किया, लेकिन यह अनुरोध अस्वीकार कर दिया गया। उत्तरवादीगण ने याचिकाकर्ता को विवाद सुलझाने हेतु दिनांक 5-4-2008 को चर्चा के लिए आमंत्रित किया और इसके बाद ही 8-5-2008 को अग्रिम जमा राशि जब्त किया गया। इस प्रकार , पक्षों के बीच उपरोक्त पत्राचार से स्पस्ट होता है कि याचिकाकर्ता ने उत्तरवादीगण के प्रस्ताव को

साफ और स्पष्ट रूप से स्वीकार नहीं किया, इस प्रकार कोई बाध्यकारी अनुबंध अस्तित्व में नहीं आया और उत्तरवादीगण द्वारा अग्रिम जमा राशि जप्त नही कर सकते थे।

8. दूसरी ओर, उत्तरवादीगण के अधिवक्ता श्री आलोक बख्शी ने निवेदन किया कि याचिकाकर्ता ने निविदा आमंत्रण सूचना (अनुलग्नक-पी/1) के प्रत्युत्तर में अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उसका प्रस्ताव दो राउंड की वार्ता के बाद दिनांक 26-2-2008 (अनुलग्नकपी/3) के पत्र द्वारा अंततः स्वीकार कर लिया गया। सविदा अनुबंध की सामान्य शर्तों और नियमों के अधीन था। निविदा दस्तावेज़ निविदाकर्ताओ को दिए निर्देशों में खण्ड 16 में स्पष्ट उल्लेख है कि कार्य की व्यक्तिगत मदों की मात्रा में परिवर्तन या कुछ मदों को छोड़ना स्वीकार्य है, बशर्ते कुल अनुबंध मूल्य ±25% से अधिक न बदले। खण्ड 12 में उल्लेख है कि निविदाकर्ता का प्रस्ताव स्वीकृति की तिथि से 4 की अवधि के लिए वैध है और निविदाकर्ता इस अवधि में अपना प्रस्ताव वापस नही ले सकता चूंकि याचिकाकर्ता ने (अनुलग्नक पी/3) के अनुसार सुरक्षा जमा राशि की शेष जमा राशि करने के बाद अनुबंध निष्पादित नहीं किया और अग्रिम जमा राशि की वापसी का अनुरोध किया, इसलिए उसने अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन किया और इसलिए अग्रिम जमा राशि का जब्ती सही था (अनुलग्नक पी/12)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. याचिकाकर्ता का तर्क कि दिनांक 26-2-2008 का पत्र (अनुलग्नक पी/3) पूर्ण स्वीकृति नहीं था, बल्कि यह शर्तयुक्त प्रति-प्रस्ताव) था, केवल पत्र के चयनात्मक पठन पर आधारित है। यदि दस्तावेज़ को पूरी तरह पढ़ा जाए, तो इस बात की कोई गुंजाईश नही बचती कि याचिकाकर्ता का प्रस्ताव निविदा दस्तावेज़ की शर्तों के अनुसार स्वीकार किया गया।

10. हमने पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुना। हमने पक्षों की अभिवचनो और संलग्न दस्तावेज़ों का अध्ययन किया।

11. याचिकाकर्ता के प्रस्ताव की स्वीकृति मुख्य अभियंता ने दिनांक 26-2-2008 के पत्र के माध्यम से सूचित की। स्वीकृति पत्र के साथ निविदा जमा करने की अंतिम तिथि तक के नवीनतम संशोधन और गैर-एसओआर मदों (Non SOR Items) के आधार दरें संलग्न की गई थीं। पत्र के खण्ड 4 के अनुसार, याचिकाकर्ता को अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से अनुबंध निष्पादित करने का निर्देश दिया गया। यदि निर्दिष्ट समय में अनुबंध निष्पादित नहीं हुआ तो अग्रिम जमा राशि जब्त करने योग्य था। पत्र का अनुच्छेद 9 इस प्रकार है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> "कार्य की रखरखाव अवधि 12 (बारह) माह होगी। कृपया इस आदेश की स्वीकृति सूचित करें।यदि आदेश के जरी होने के 10 दिनों के नही होती है, तो यह माना जाएगा कि आप आदेश स्वीकार कर चुके हैं।"

12. दिनांक 1 मार्च 2008 के उक्त पत्र के जवाब में, याचिकाकर्ता ने कार्यादेश में संलग्न मद दरों और बी ओं क्यू में बिना सहमति किए हुए परिवर्तन पर आपत्ति जताई। याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया कि कार्यादेश के साथ संलग्न बी ओं क्यू में आवश्यक संशोधन किया जाए ताकि वह एनआईटी के अनुसार हो। लेकिन यह अनुरोध के पत्र (अनुलग्नक पी/5) द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। अस्वीकार का आधार यह था कि खण्ड 16 के निर्देशों में, व्यक्तिगत मदों की मात्रा में परिवर्तन संभव है और कुछ मदों का निष्पादन आवश्यक नहीं है, बशर्ते कुल अनुबंध मूल्य ±25% से अधिक न बदले। निविदा दस्तावेज़ प्रतिवादियों द्वारा अनुलग्नक आर/1 के रूप में प्रस्तुत किया गया।

13. हमने अनुलग्नक–आर/1 के रूप में प्रत्युत्तर के साथ संलग्न निविदा दस्तावेज़ का सावधानीपूर्वक परीक्षण किया है। तथापि, अनुलग्नक– आर /1 के उक्त दस्तावेज़ में हमें ऐसी कोई शर्त प्राप्त नहीं हुई है जो उत्तरवादीगण को यह अधिकार प्रदान करती हो कि वे निविदा कार्य में वस्तुओं की मात्रा को इस सीमा तक एकपक्षीय रूप से परिवर्तित कर सकें कि अनुबंध का मूल्य निविदा मूल्य के 25% से अधिक न परिवर्तित हो, जैसा कि अनुलग्नक–पी/5 के दस्तावेज़ में उल्लेखित है।

14. उत्तरवादी क्रमांक 2 द्वारा याचिकाकर्ता को लिखा गया पत्र (अनुलग्नक -पी/9 के अवलोकन कि याचिकाकर्ता को दिनांक 5-4-2008 को उनके कार्यालय में बुलाया गया ताकि मुद्दे को सुलझाया जा सके जिसके विफल होने पर उचित कार्यवाही पर विचार किया गया था ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. इस प्रकार पक्षों के संपूर्ण पत्राचार, विशेषकर मुख्य अभियंता का ज्ञापन अनुलग्नक-पी/3 (26-2-2008), याचिकाकर्ता का उत्तर (4-3-2008) और अनुलग्नक -P/9 (28-3-2008) को देखने से यह स्पष्ट है कि पक्षों के बीच कोई अनुबंध संपन्न नहीं हुआ था बातचीत के माध्यम से विवाद को सुलझाने का प्रयास कर रहे थे।

16. **मेसर्स रिच्कमेर्स वेर्वाल्तुंग गिम्ब एच** (पूर्वोक्त) मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय के अनुच्छेद-12 में इस प्रकार कहा है:—

> "इस संबंध में स्मरण करने योग्य प्रधान सिद्धान्त यह है कि न्यायालय
> की यह दायित्व है कि वह पत्राचार की व्याख्या इस दृष्टि से करे कि यह

निष्कर्ष निकाला जा सके कि क्या पक्षों के मध्य कोई सहमति थी, जो उनके बीच एक बाध्यकारी अनुबंध का निर्माण हो सके, परन्तु न्यायालय पक्षों के लिये पत्राचार में प्रयुक्त स्पष्ट भाषा से बाहर जाकर कोई नया अनुबंध रचने का अधिकारी नहीं है, सिवाय उन सीमित स्थितियों के जहाँ कानून से कुछ उपयुक्त निहितार्थ निकाले जाने हों। जब तक पत्राचार से यह स्पष्ट और निर्विवाद रूप से प्रकट नहीं होता कि पक्षों ने शर्तों पर सहमति व्यक्त की हुए, तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि पत्राचार द्वारा उनके मध्य कोई समझौता उत्पन्न हुआ है। न्यायालय को यह समीक्षा करनी होगी है कि पक्षों ने क्या लिखा और किस प्रकार कार्य किया और उन्हीं सामग्री से यह निहितार्थ निकालना होता है कि क्या पत्राचार में व्यक्त उत्तर की मंशा यह थी कि एक पारस्परिक रूप से बाध्यकारी अनुबंध अस्तित्व में लाया जाए। पक्षों की मंशा केवल पत्राचार में प्रयुक्त अभिव्यक्तियों और उसके संप्रेषित अर्थ से ही जानी जानी चाहिए और यदि उससे यह स्पष्ट हो कि पक्षों के मध्य मन की बैठक हुई थी और वे वास्तव में सभी महत्वपूर्ण शर्तों पर सहमत हुए थे, तभी यह कहा जा सकता है कि पत्राचार द्वारा एक बाध्यकारी अनुबंध को स्पष्ट किया जा सकता था ।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. **शिन सॅटॅलाइट पब्लिक कंपनी लिमटेड बनाम जैन स्टूडियो लिमिटेड {(2006) 2 एस.सी.सी. 628}** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मध्यस्थता समझौते की वैधता, विधिमान्यता तथा एवं प्रवनियता के प्रश्न पर विचार करते हुए समझौते में मौजूद अवैध तथा शून्य प्रावधानों की पृथक्करणीयता के संबंध में हल्स्बुर्य्स लॉस ऑफ़ इंग्लैंड के अनुच्छेद-430 तथा

अंग्रेज़ी और उच्च न्यायालयों के विभिन्न निर्णयों का संदर्भ लेते हुए यह माना कि उदयन मामलो के तथ्यों में उक्त अप्पत्तिजनक हिस्सा स्पस्ट रूप से पृथककरनीय है, क्योकि यह मध्यस्था द्वारा संदर्भित एवं छल किये जा रहे विवाद से स्वतंत्र है, और विवाद का निपटारा मध्यस्थ द्वारा कर दिया जा सकता है; और न्यायालय को अनुबंध को पुनर्लेखन करने की आवश्यकता नहीं है और और सभी पक्षों द्वारा परिलियन नहीं है अप्पत्तिजनक हिस्से को ‘‘नीली पेंसिल’’ द्वारा अलग कर दिया जा सकता है।

18. **बीड डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कॉप बैंक लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य व अन्य ((2006) 8 SCC 514)** के मामले में "नीली पेंसिल का सिद्धान्त" जिसे अंग्रेज़ी एवं अमेरिकी न्यायालयों ने विकसित किया है, अनुच्छेद 10 से 12 में विवेचित किया गया है और यह देखा गया कि इस सिद्धान्त में यह प्रावधान है कि न्यायालय किसी अनुबंध के क़ानूनी वैधता का प्रश्न भाग को हटाकर उसे न्यायसंगत बना सकता है तो उन्हें ऐसा करना चाहिए तथा शेष भाग को लागू कर देना चाहिए। यह सिद्धान्त केवल तब लागू होता है जब प्रश्न में उद्धृत व्यवस्था लागू होने योग्य हो ताकि असंगत भाग पृथक किए जा सकें।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. परन्तु, चालू मामले में हमारा मत है कि उपर्युक्त सिद्धान्त (नीली पेंसिल) की कोई प्रकृति यहाँ लागू नहीं होती। प्रस्ताव स्वीकार करते समय और कार्यादेश जारी करते समय उत्तरवादी क्रमांक 2 ने गैर-एसओआर मदों के लिये अनुक्रमित आधार दरें संलग्न कर अग्रेषित भी कीं तथा याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि वह दस दिनों के भीतर अपना स्वीकार्य संदेश संप्रेषित करे। याचिकाकर्ता ने समय पर प्रस्तावित परिवर्तनों के विरुद्ध आपत्ति संप्रेषित की और अनुरोध किया कि कार्यादेश में निर्दिष्ट मद दरों और बीओक्यू की सूची के अनुसार ही बने रहने पर ही अनुबंध निष्पादित किया

जाए। पत्राचार से यह भी प्रतित होता है कि विभाग विवाद का निपटारा वार्ता द्वारा करने का प्रयत्न कर रहा था।

20. अतः समस्त पत्रव्यवहार पर विचार-विमर्श के पश्चात् हमारा मत है कि पक्षों के मध्य कोई संपन्न नहीं हुआ है।

21. उपर्युक्त चर्चा के आलोक में यह याचिका स्वीकृत की जाती है। उतरवादीगण (अनुलग्नक पी/12) की अपेक्षित आदेश को अभिखंडित करते है तथा उतरवादीगण को निर्देश दिया जाता है कि वे याचिकाकर्ता को ₹8,75,000/- की जमानत राशि याचिका दायर करने की तिथि से साधारण ब्याज की दर 6% प्रति वर्ष के साथ वापस करें।

हस्ताक्षर

(धिरेन्द्र मिश्रा)

न्यायाधीश

हस्ताक्षर

(आर. एन. चन्द्राकर)

न्यायाधीश

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated by PANKAJ SINGH THAKUR